रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार जून 4, 2015/ ज्येष्ठ 14, 1937
No. 363] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सा.का.नि. 454(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार का कारपोरेट कार्य मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इन नियमों की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है;

(घ) "ड्यूटी पद" से अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कोई पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी;

(ङ) "परीक्षा" से केन्द्रीय सेवा समूह 'क' पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "श्रेणी" से अनुसूची-I के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वर्ग और समुदाय समाविष्ट होंगे;

(झ) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसी कोई अवधि या अवधियां भी हैं जिनके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में किसी ड्यूटी पद को तब धारण किया होता जब वह छुट्टी, प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए उपलब्ध होता;

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो क्रमश: संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनके लिए समनुदेशित है; और

(ठ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अभिप्रेत है।

3. **भारतीय कारपोरेट विधि सेवा का गठन –** (1) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नाम से ज्ञात सेवा में पांच श्रेणियां होंगी, अर्थात् – उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी, ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ काल वेतनमान।

(2) इस सेवा में शामिल सभी पद समूह 'क' के रूप में वर्गीकृत हैं।

4. **श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन –** (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवी की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और उनके वेतनमान (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन) वे होंगे जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) सरकार विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर ऐसा परिवर्तन कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पदों को (अनुसूची-1 में सम्मिलित पदों से भिन्न) सम्मिलित कर सकेगा जो प्रास्थिति, श्रेणियों, वेतनमानों और वृत्तिक संदर्भ में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझे जाएं या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगा।

(5) नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जिसका पद उप-नियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, नियमित आधार पर उनकी सेवा की समुचित श्रेणी जो वह ठीक समझे और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार उस श्रेणी में उनकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगा।

5. **सेवा के सदस्य -** (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के ऐसे विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा के विभिन्न श्रेणी में नियमित आधार पर ड्यूटी पद धारण किए हुए हैं या ऐसे पदों पर उनका धारणाधिकार है इन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे; और

(ख) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

(4) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व की गई संबंधित तत्स्थानी श्रेणियों की नियमित सेवा को ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगठित किया जाएगा।

6. **सेवा का भावी अनुरक्षण** – किसी श्रेणी में कोई पद निम्नलिखित रीति से शासित होंगे और भरे जाएंगे, अर्थात् –

(क) कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में 60 प्रतिशत रिक्तियां परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और उस श्रेणी में उद्भूत होने वाली शेष 40 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट पदों के नियमित पदधारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(ख) सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उसके ऊपर की श्रेणी में नियुक्ति, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) के सिवाय, अनुसूची-II के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ ठीक नीचे की श्रेणी के अधिकारियों से चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा तथा अनुसूची-III के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

(ग) सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में नियुक्ति, अनुसूची-II के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट पात्रता के आधार पर उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर स्थानन और अनुसूची-III के अनुसार गठित छानबीन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

(घ) सभी अधिकारियों को कनिष्ठ काल वेतनमान, ज्येष्ठ काल वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) की श्रेणियों में प्रोन्नति या स्थानन से पूर्व कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या फील्ड में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

7. **अकृत्यिक उन्नयन** – (1) जब भी राज्य या संयुक्त काडर के किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाले किसी विशिष्ट श्रेणी पर केन्द्र में पदस्थापित किया जाता है तो भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के उस बैच के ऐसे अधिकारी को जो दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए ज्येष्ठ हैं और जिन्हें उस विशिष्ट श्रेणी में अब तक प्रोन्नत नहीं किया गया है, केन्द्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना की तारीख से अनुसूची-III के अनुसार गठित विभागीय छानबीन समिति की सिफारिश पर अकृत्यिक आधार पर समान श्रेणी दिया जाएगा।

(2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी14017/64/2008-स्था.(आर.आर.) तारीख 24 अप्रैल, 2009 के उपाबंध-I के अनुसार उच्चतर वेतनमान देने के लिए छानबीन के समय किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन पर उन्नयन के लिए 'बैंचमार्क' सहित सभी विहित पात्रता मानक और प्रोन्नति मानक पूरे करने होंगे।

(3) अकृत्यिक आधार पर उच्चतर वेतनमान देने के लिए अन्य निबंधन और शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा इस मामले में समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगे।

8. **ज्येष्ठता** – (1) नियम 6 के खंड (क) में निर्दिष्ट सेवा के प्रारंभिक गठन के अधीन सेवा के किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के किसी सदस्य की सापेक्ष ज्येष्ठता, सरकार द्वारा परिवर्तित किए जाने, उपांतरित किए जाने या संशोधित किए जाने तक जारी रहेगी;

परंतु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो नियंत्रक प्राधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों और अनुदेशों के अनुसार उसे अवधारित करेगा।

(2) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को या से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा- (1) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के किए परिवीक्षा पर होंगे।

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

परंतु यह और कि परिवीक्षा की पूर्व अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर सामान्यतया परिवीक्षा अवधि बढाने का विनिश्चय कर लिया जाए और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने का कारण बताते हुए संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचना दे दी जाए।

(2) परिवीक्षा की अवधि और उसके विस्तारण की अवधि पूरी होने पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसको नियमित आधार पर नियुक्ति पर रखा जा सकता है और उसे उपलब्ध वास्तविक रिक्ति पर सम्यक अनुक्रम पर पुष्टि किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तारण की किसी अवधि कें दौरान, यथास्थिति यदि सरकार की यह राय हो कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार निम्न कार्रवाई कर सकेगी -

(क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है;

(ख) यदि उसे प्रोन्नति पर नियुक्त किया गया था तो उसे प्रोन्नति से पूर्व के पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है;

(4) परिवीक्षा की अवधि और उसके विस्तारण की अवधि पूरी होने पर, संबंधित अधिकारी से सरकार की यह अपेक्षा है कि वह प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रमों में भाग ले और सरकार द्वारा समाधानप्रद परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली शर्तों के अनुसार परीक्षा और परीक्षण उत्तीर्ण करें ।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवारत सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होगें।

10. **सेवा में नियुक्ति** – सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सभी ड्यूटी पदों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सभी प्रकार की नियुक्तियां की जाएंगी।

11. **भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें** – (1) सेवा में नियुक्त सदस्य भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) ऐसे मामले जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है से संबंधित सेवा के सदस्य की सेवा शर्तें वही होंगी जो केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों पर समय – समय पर लागू होती हैं।

12. **प्रतिनियुक्ति** - नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार के किसी अन्य विभाग में या सरकार के किसी उपक्रम में या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम में किसी पद पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए सेवा के किसी सदस्य को सेवा करने की अपेक्षा कर सकता है।

13. **निरर्हता** – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

14. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. **निर्वचन** – इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आयोग के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा।

अनुसूची-I

[नियम 2(घ) और 4 देखें]

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों के पदनाम, संख्या और वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी और वेतनमान	पदनाम	पदों की संख्या
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.) (67,000 रुपए – 3 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि – 79,000 रुपए)	महानिदेशक (कारपोरेट कार्य)	1
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.श्रे.) (वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रुपए + ग्रेड वेतन 10000 रुपए)	1. प्रादेशिक निदेशक 2. निदेशक, निरीक्षण और अन्वेषण 3. निदेशक (विधि और अभियोजन) 4. निदेशक (लोक शिकायत)	10
3.	**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन 8,700 रुपए)		**
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.) (वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रुपए + ग्रेड वेतन 6,600 रुपए)	1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड 2. कंपनी रजिस्ट्रार 3. शासकीय समापक 4. संयुक्त निदेशक 5. कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक	65
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे.) (वेतन बैंड-3, 15,600 - 39,100 रुपए + ग्रेड वेतन 6,600 रुपए)	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक 3. उप कंपनी रजिस्ट्रार 4. उप शासकीय समापक 5. उप निदेशक 6. कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक	80
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.) (वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन 5400 रुपए)	1. कंपनी रजिस्ट्रार 2. शासकीय समापक 3. कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक	137

243065 2

		4. सहायक कंपनी रजिस्ट्रार 5. सहायक शासकीय समापक 6. सहायक निदेशक 7. न्यायपीठ अधिकारी	

**टिप्पण – कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान स्तर और ऊपर के सभी ड्यूटी पद) के 30 प्रतिशत के बराबर होगी और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में मंजूर पदों की संख्या तक सीमित होगी।

अनुसूची-II

[नियम 7 देखें]

(i) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर किसी अधिकारी की प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए ठीक बाद की निम्नतर श्रेणी में भर्ती की रीति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा।

(ii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के लिए चयन का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हक सेवा और पद्धति।

क्र.सं.	श्रेणी	भर्ती की रीति	चयन अथवा अचयन पद	प्रोन्नति या अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.श्रे.)	प्रोन्नति	चयन	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 10000 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' पदों पर की सेवा में पच्चीस वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा हो; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर इक्कीस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ऐसे अधिकारियों के लिए ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए जिन्होंने ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर पर सेवा में प्रविष्ट किया हो; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर सोलह वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ऐसे अधिकारियों के लिए ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर पर सेवा में प्रविष्ट किया हो।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (ज्ये.प्र.श्रे.)	प्रोन्नति	चयन	ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन 7600 रुपए की श्रेणी में जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी भी है, आठ वर्ष नियमित सेवा की है; या

				ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' पदों पर की सेवा में सत्रह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई सेवा भी है) में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा हो; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर तेरह वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई सेवा भी है) जिन्होंने ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर पर सेवा में प्रविष्ट किया हो।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	उपयुक्तता के अधीन रहते हुए स्थानन		1. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या 2. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी की नियमित आधार पर चयन की तारीख से संगणित उस वर्ष की 01 जनवरी को सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रविष्ट किया है ऐसे अधिकारी के समूह 'क' पद नियुक्त या भर्ती किया गया था; या 3. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी को नियमित आधार पर चयन की तारीख से संगणित उस वर्ष की 01 जनवरी को सेवा के दसवें वर्ष में प्रविष्ट किया है ऐसे अधिकारी की दशा में जो ज्येष्ठ काल वेतनमान पर उस श्रेणी में प्रविष्ट किया या समूह 'क' पदों पर नियुक्त या भर्ती किया गया था।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.)	प्रोन्नति	चयन	ज्येष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड 3 + ग्रेड वेतन 6600 रु में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का.वे.)	प्रोन्नति	चयन	कनिष्ठ काल वेतनमान के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड 3 + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में चार वर्ष नियमित सेवा की है
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (क.का.वे.)	(i) 40* प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	चयन	प्रौन्नति (i) वेतन बैंड 2 + ग्रेड वेतन-4600 रूपए में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) वेतन बैंड 2 + ग्रेड वेतन 4600 रूपए में

		(आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से)	परीक्षण	ऐसे कंपनी अभियोजक जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) वेतन बैंड 2 + ग्रेड वेतन 4200 रूपए में अधीक्षक-सह-लेखाकार जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iv) वेतन बैंड 2 + ग्रेड वेतन 4600 रूपए में ऐसे अन्वेषक अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :- इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व ऐसे अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पद पर सीधे भर्ती होने के कारण पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पण 2 :- ऐसे अधिकारी जिन्होंने इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व ज्येष्ठ काल वेतनमान के पद पर सीधे भर्ती होने के कारण दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है और जो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का पदधारण किए हुए हैं पर भी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पण 3 :- कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय कारपोरेट विधि सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति की पद्धति द्वारा सेवा में प्रविष्ट किया हो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) पर भी नियुक्त होने के पात्र पर विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अधिकारियों के साथ जिन्होंने सीधी भर्ती की पद्धति के माध्यम से सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रविष्ट किया हो। ज्येष्ठता शासी नियमों का अनुकरण करते हुए समूह 'क' में सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रविष्ट किया हो।

टिप्पण 4 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उपरोक्त उल्लिखित पांच प्रोन्नति की श्रेणी में से किसी पर, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 5 :- * प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी या पद पर विहित अर्हक सेवा को पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।

अनुसूची-III

[नियम 6 देखें]

(i) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

(ii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा में अकृत्यिक चयन श्रेणी की मंजूरी के मामलों पर विचार करने के लिए चयन समिति की संरचना

(iii) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के अधिकारियों के अकृत्यिक उन्नयन की मंजूरी के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना

क्र. सं.	श्रेणी	प्रोन्नति/अकृत्यिक चयन श्रेणी के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	अकृत्यिक उन्नयन की मंजूरी के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (उ.प्र.क्षे.)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- **अध्यक्ष** सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**सदस्य** सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग-**सदस्य**		सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय- **अध्यक्ष** भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय के सचिव-**सदस्य** भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय के सचिव-**सदस्य**
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (ज्ये.प्र.क्षे.)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-**अध्यक्ष** सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**सदस्य** महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**सदस्य**		सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**अध्यक्ष** महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय के अपर सचिव-**सदस्य** अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**सदस्य**
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**अध्यक्ष** अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**सदस्य** कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव-**सदस्य** संयुक्त सचिव (एटीएवंए), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-**सदस्य**		सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**अध्यक्ष** अपर सचिव या संयुक्त सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**सदस्य** कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव-**सदस्य**
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (क.प्र.श्रे.)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-**अध्यक्ष**		सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-**अध्यक्ष**

		अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव- सदस्य		अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उ.क्षे.) या संयुक्त सचिव-सदस्य
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (ज्ये.का. वे.)	अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य संयुक्त निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य		सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय- सदस्य संयुक्त निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान(क.का.वे.)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य संयुक्त निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य	अपर सचिव या संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य संयुक्त निदेशक या उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय-सदस्य	

[फा. सं. ए-12011/22/2011-प्रशा.II]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Corporate Law Service Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Corporate Law Service Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs;

(c) "Departmental Promotion Committee" means a Departmental Promotion Committee specified in Schedule III to these rules;

(d) "Duty post" means any post, specified in Schedule I whether permanent or temporary;

(e) "Examination" means the Civil Services Examination held by the Commission for recruitment to Central Services Group 'A';

(f) "Government" means the Central Government;

(g) "Grade" means a grade specified in column (2) of Schedule I;

(h) "Other Backward Classes" shall comprise the classes and communities notified by the Central Government from time to time;

(i) "Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to prescribed procedure for regular appointment to the grade and includes any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave, deputation or otherwise not being available for holding such a post;

(j) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(k) "Scheduled Castes" and " Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution; and

(l) "Service" means the Indian Corporate Law Service constituted under rule 3.

3. **Constitution of Indian Corporate Law Service.**— (1) The service, known as the Indian Corporate Law Service, shall comprise of five grades namely, Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade, Senior Time Scale and Junior Time Scale.

(2) All the posts included in the service shall be classified as Group 'A' posts.

4. **Grades, authorised strength and its review.**— (1) The duty posts included in the various grades of the Service, their number and the Scales of Pay (Pay Band and Grade Pay) on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.

(3) The Government may, from time to time make such alteration in the sanctioned strength of the duty posts in various grades as it thinks necessary.

(4) The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, include in the service such posts (other than those included in Schedule I) as may be deemed equivalent to the posts included in the service in status, grades, pay scales and professional context, or exclude from the service any posts included in the said Schedule.

(5) The Controlling Authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer, whose post is included in the service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the service on regular basis, as it thinks fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders or instructions issued by the Government from time to time.

5. **Members of the Service.**—(1) The following persons shall be the members of the Service, namely :-

(a) the existing officers of Indian Corporate Law Service holding duty posts in various grades of the Service on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules, shall deemed to have been appointed to the duty posts; and

(b) persons appointed to the duty posts under rule 6;

(2) A person referred to in clause (a) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him.

(3) A person referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of such appointment.

(4) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) in the respective corresponding Grades, rendered prior to the commencement of these rules, shall be counted as qualifying service for purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional up-gradation and pension.

6. **Future maintenance of the Service.**— The posts in any of the grades shall be governed by and filled in the following manner, namely:-

(a) sixty per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of result of the examination and the remaining forty per cent vacancies arising in the grade shall be filled by promotion of regular incumbents of the posts as specified in Schedule II.

(b) Appointment in the grade of Senior Time scale and above in the Service except Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be made by promotion on selection basis from officers in the grade immediately below with the minimum qualifying service as specified in column (4) of Schedule II and on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the Schedule III.

(c) The appointment to the grade of Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) of the Service shall be made by placement based on seniority subject to suitability on the basis of eligibility prescribed in column (4) of the Schedule II and on the recommendation of a Screening Committee constituted in accordance with Schedule III.

(d) All officers shall have to complete a mandatory training of 2 to 4 weeks in the relevant area or field as specified by the Ministry of Corporate Affairs before promotion or placement to the grades of Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade).

7. **Non Functional Upgradation.**—(1) Whenever an Indian Administrative Services Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4 or Higher Administrative Grade, the officers belonging to the batch of Indian Corporate Law Service who are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Services Officer in that particular grade at the Centre on the recommendation of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Schedule III.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular grade pay shall be met at the time of screening for grant of higher pay-scale a per Annexure-I of the Office Memorandum No. AB.14017/64/2008-Estt. (RR) dated the 24th April, 2009 of the Department of Personnel and Training.

(3) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on Non-Functional basis shall be as per the orders and instructions issued on the matter by the Central Government from time to time.

8. **Seniority.**—(1) The relative seniority of a member of the Service, appointed to any grade of the Service under initial constitution of the Service referred to in clause (a) of rule 6 shall continue until altered, modified or amended by the Government:

Provided that if the seniority of any such member has not been specifically determined immediately before commencement of these rules, the same shall be determined by the Controlling Authority in accordance with the general orders or instructions issued by the Central Government from time to time.

(2) The seniority of persons appointed to various Grades of the Service on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government from time to time.

9. **Probation.**—(1) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or on promotion in the grade of Junior Time Scale of the Service shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of the period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of the probation or any extension thereof, the officers shall, if considered fit for permanent appointment be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy.

(3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may —

(a) if he was appointed by direct recruitment, discharge him from the Service;

(b) if he was appointed on promotion, revert him to the post held by him immediately before such appointment.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests as the Government may consider necessary as a condition for satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

10. **Appointment to the Service.**— All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the duty posts in various grades of the Service.

11. **Liability for service in any part of India and other conditions of Service.**— (1) The members appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision has been made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the Group 'A' officers of the Central Civil Service.

12. **Deputation.**—The Controlling Authority may require any member of the Service to hold for a specified period a post in any other Department of the Government or in any Corporation owned or controlled by the Government.

13. **Disqualification.**— No person, –

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. **Power to relax.**— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

15. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

2430 GI/4

16. **Interpretation.—** If any question relating to interpretation of these rules arise, it shall be decided by the Central Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

[See rules 2(d) and 4]

Designation, Number and Scale of Pay of duty posts included in the various grade of the Indian Corporate Law Service

S. No.	Grade and Scale	Designation	No. of posts
1.	Higher Administrative Grade (HAG) (Rs. 67,000-annual increment @ 3% - 79,000)	Director General of Corporate Affairs	1
2.	Senior Administrative Grade (SAG) (PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay Rs.10,000)	1. Regional Director 2. Director of Inspection and Investigation 3. Director (Legal and Prosecution) 4. Director (Public Grievances)	10
3.	** Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade) (PB-4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay Rs. 8,700)		**
4.	Junior Administrative Grade (JAG) (PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs.7600)	1. Secretary, Company Law Board 2. Registrar of Companies 3. Official Liquidator 4. Joint Director 5. Registrar of Companies-cum-Official Liquidator	65
5.	Senior Time Scale(STS) (PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs. 6,600)	1. Registrar of Companies 2. Official Liquidator 3. Deputy Registrar of Companies 4. Deputy Official Liquidator 5. Deputy Director 6. Registrar of Companies-cum-Official Liquidator	80
6.	Junior Time Scale (JTS) (PB-3, Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs. 5,400)	1. Registrar of Companies 2. Official Liquidator 3. Registrar of Companies-cum- Official Liquidator 4. Assistant Registrar of Companies 5. Assistant Official Liquidator	137

		6. Assistant Director 7. Bench Officer	

**** Note:** The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is Non-functional and the maximum number of posts in this grade shall be equal to 30 per cent of the Senior Duty Posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the service) and the maximum number of posts in this grade shall be limited to the number of sanctioned posts in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE – II

[See rule 6]

i) Method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Corporate Law Service.

ii) Field of selection, minimum qualifying service and method for grant of Non-Functional Selection Grade to Junior Administrative Grade officers of the Indian Corporate Law Service.

S. No.	Grade	Method of recruitment	Whether by selection or non-selection	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion or grant of Non-Functional Selection Grade
1.	Higher Administrative Grade (HAG)	Promotion	Selection	Senior Administrative Grade officers with three years regular service in the grade Pay of Rs. 10,000/-, or Officers with twenty–five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in the Senior Administrative Grade, or Officers with twenty-one years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in the Senior Administrative Grade for officers who had entered in the service at the level of Senior Time Scale, or Officers with sixteen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in the Senior Administrative Grade for officers who had entered in the service at the level of Junior Administrative Grade.
2.	Senior Administrative Grade (SAG)	Promotion	Selection	Junior Administrative Grade officers with eight years regular service in the grade Pay of Rs. 7,600/- including Non- Functional Selection Grade, or Officers with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade), or

				Officers with thirteen years regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade) for officers who had entered in the service at the level of Senior Time Scale.
3.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)	Placement subject to suitability	--	1. Officers in Junior Administrative Grade with five years' regular service in Grade; or 2. Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the fourteenth year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the officer was appointed or recruited to Group 'A' post; or 3. Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the tenth year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the officer was appointed or recruited to Group 'A' posts in the case of officers who had entered in the service at the Senior Time Scale.
4.	Junior Administrative Grade (JAG)	Promotion	Selection	Senior Time Scale officers with five years regular service in the Pay Band- 3 plus grade pay of Rs. 6,600/-.
5.	Senior Time Scale (STS)	Promotion	Selection	Junior Time Scale officers with four years regular service in the Pay Band-3 plus grade pay of Rs. 5,400/-.
6.	Junior Time Scale (JTS)	(i)*40 per cent. by promotion (ii) 60 per cent. by direct recruitment (through Civil Services Examination conducted by Commission)	Selection Examination	Promotion : i) Senior Technical Assistant in the Pay Band-2 plus grade pay of Rs. 4600/- with three years regular service. ii) Company Prosecutor in the Pay Band-2 plus grade pay of Rs. 4600/- with three years regular service. iii) Superintendent-cum-Accountant in the Pay Band-2 plus grade pay of Rs. 4200/- with eight years regular service. iv) Investigating Officer in the Pay Band-2 plus grade pay of Rs. 4600/- with three years regular service.

Note : 1. Officers who have completed five years of regular service in case of those who are directly recruited in the Junior Administrative Grade prior to coming into force of these rules shall also be considered for Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade).

Note : 2. Officers who have completed ten years of regular service in case of those who are directly recruited in the Senior Time Scale prior to coming into force of these rules and holding the post in the Junior Administrative Grade shall also be considered for Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade).

Note: 3. The Junior Administrative Grade Officers who entered the service by the method of promotion in the Junior Time Scale of Indian Corporate Law Service Group 'A' shall also be considered eligible for appointment in the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), provided they have entered the fourteenth year of service in Group 'A' by following the Rules governing seniority along with officers who entered the fourteenth year of service through the method of direct recruitment.

Note: 4. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, to any of the above mentioned five promotion grade, the seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period from promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

Note: 5.* The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade or post.

SCHEDULE – III

[See rule 6]

(i) Composition of Departmental Promotion Committee for considering cases for promotion and confirmation in the Indian Corporate Law Service.

(ii) Composition of Selection Committee for considering cases for grant of Non Functional Selection Grade in the Indian Corporate Law Service.

(iii) Composition of Screening Committee for considering cases for grant of Non Functional Up-gradation to officers of Indian Corporate Law Service.

S.No.	Grade	Departmental Promotion Committee/ Selection Committee for considering cases of promotion/Non Functional Selection Grade	Departmental Promotion Committee for considering confirmation	Screening Committee for considering cases for grant of Non Functional Up-gradation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Higher Administrative Grade (HAG)	**Chairman** – Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** –Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Secretary, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs		**Chairman**– Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Secretary of any Ministry under Government of India

2467GI5

				Member- Secretary of any Ministry under Government of India
2	Senior Administrative Grade (SAG)	**Chairman** – Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** –Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Director General Corporate Affairs or Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs		**Chairman–** Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member –** Director General Corporate Affairs or Additional Secretary of any Ministry under Government of India **Member** - Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3	Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade)	**Chairman** –Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** –Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Regional Director (NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Joint Secretary (AT & A), Department of Personnel and Training		**Chairman** – Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Regional Director (NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs
4	Junior Administrative Grade (JAG)	**Chairman** – Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** –Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Regional		**Chairman–** Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Additional Secretary or

		Director (NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs		Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Regional Director (NR) or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs
5	Senior Time Scale (STS)	**Chairman** –Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** –Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Joint Director, Ministry of Corporate Affairs		**Chairman**– Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Joint Director, Ministry of Corporate Affairs
6	Junior Time Scale (JTS)	**Chairman** – Chairman or Member, Union Public Service Commission **Member** –Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Joint Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs	**Chairman** – Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs **Member** – Joint Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs	

[F. No. A-12011/22/2011-Ad.II]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.